

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) पाधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1558]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 4, 2014/श्रावण 13, 1936

No. 1558] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 2014/SRAVANA 13, 1936

## गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली. 4 अगस्त. 2014

का.आ. 1988(अ).—जबिक, केन्द्र सरकार का यह मत है कि व्यक्तियों की कितपय श्रेणियों को लोक हित में, शस्त्र अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के कुछेक प्रावधानों के प्रचालन से छूट देना आवश्यक एवं उचित है;

अत: अब, शस्त्र अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा-41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 12 सितम्बर, 1985 के का. आ. 667(अ) और 06 मार्च, 2013 के का.आ. 591 (अ) संख्यक अधिसूचनाओं के तहत् जारी गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाए उन बातों के जिन्हें संपादित किया जा चुका हो अथवा ऐसे अधिक्रमण के पूर्व संपादन हेतु छोड़ दिया गया हो, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, इसके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणियों को, इसके कालम (3) में तदनुरूपी प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट प्रकार की श्रेणी के शस्त्रों के बारे में, जब इन्हें व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण अथवा प्रतियोगिताओं में प्रयोग के प्रयोजन से निजी उपयोग हेतु ले जाया जाए अथवा कब्जे में रखा जाए, उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा (2) एवं धारा-9 की उप-धारा (1) के अनुच्छेद (क) (।) के प्रावधानों के प्रचालनों से छूट प्रदान करती है तथा यह छूट उक्त अनुसूची के कॉलम-4 में तदनुरूपी प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन होगी:

## 2. परिभाषाएं:-

इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए—

(क) "अंतर-राष्ट्रीय चैंपियनशिप" का तात्पर्य एशियाई खेल, एशियाई निशानेबाजी चैंपियन शिप, एशियाई महिला अथवा एशियाई किनष्ठ निशानेबाजी चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल निशानेबाजी चैंपियनशिप, ओलम्पिक खेल, विश्व किनष्ठ अथवा वरिष्ठ निशाने बाजी चैंपियनशिप तथा वरिष्ठ के साथ-साथ किनष्ठ प्रतियोगिताओं के विश्वकप से है:

3082 GI/2014 (1)

- (ख) "अंतरराष्ट्रीय पदकधारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने किसी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में व्यक्तिगत अथवा टीम पदक जीता हो:
- (ग) "मशहूर निशानेबाज" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग यूनियन के नियमों के अनुसार संचालित किसी भी ओपन पुरूषों की प्रतियोगिता अथवा ओपन महिलाओं की प्रतियोगिता अथवा ओपन सिविलियनों की प्रतियोगिता की राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में चाहे अर्हक खेल प्रतियोगिता के माध्यम से अथवा वाइल्ड कार्ड प्रविष्टि के द्वारा भाग लिया हो और राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक हासिल किए हों।
- (घ) "कनिष्ठ निशानेबाज" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने 12 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन वह 21 वर्ष से कम आयु का हो तथा उसने राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन एवं/अथवा संबंधित राज्य राइफल्स एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त कम से कम एक राज्य चैंपियनशिप (वर्ष में एक बार आयोजित) अथवा जोनल चैंपियनशिप अथवा राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया हो;
- (इ.) "महत्वाकांक्षी निशानेबाज" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन एवं/अथवा संबंधित राज्य राइफल एसोसिएशन द्वारा मान्यताप्राप्त कम से कम एक राज्य चैंपियनशिप (वर्ष में एक बार आयोजित), जोनल चैंपियनशिप अथवा राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया हो और भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किए हों।

## 3. सत्यापन निकाय:—

- क) अनुसूची के क्रम सं. –(1) पर विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए सत्यापन निकाय खेल विभाग, युवा एवं खेल मंत्रालय में भारत सरकार होगी। प्रमाण-पत्र में यह उल्लिखित हो कि यह पुरस्कार निशानेबाजी में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया गया है।
- ख) अनुसूची के क्रम सं. (2) पर विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए सत्यापन निकाय भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एन आर ए आई) होगी। प्रमाण पत्र में यह उल्लिखित होगा कि पदकधारी द्वारा यह पदक अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में जीता गया है तथा विख्यात निशानेबाज होने की स्थिति होने पर जारी किए गए गुणवत्ता प्रमाण पत्र (मेरिट सर्टिफिकेट) में स्पर्धा के लिए एन आर ए आई द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक स्कोर सहित अर्हक स्कोर का उल्लेख किया जाए।
- ग) अनुसूची के क्रम सं.-3 तथा 4 पर विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए सत्यापन निकाय भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ अथवा एन आर ए आई का अनुमोदित अथवा मानद राज्य राइफल संघ होगा। जारी किए गए प्रमाण पत्र पर स्पर्धा के लिए एन आर ए आई या राज्य राइफल संघ द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक स्कोर सिहत अर्हक स्कोर का उल्लेख किया जाए।
- घ) अनुसूची के क्रम सं.-5 पर उल्लिखित संस्थाओं के लिए सत्यापन निकाय निम्न के अनुसार होगी:—

| संस्था  | सत्यापन निकाय                       |  |
|---|-------------------------------------|--|
| शूटिंग क्लब/राज्य राइफल संघ या भारतीय           | राज्य राइफल संघ या भारतीय राष्ट्रीय |  |
| राष्ट्रीय राइफल संघ के साथ जुड़ा जिला राइफल संघ | राइफल संघ                           |  |
| राज्य राइफल संघ                                 | राष्ट्रीय राइफल संघ                 |  |
| राष्ट्रीय राइफल संघ                             | युवा एवं खेल मंत्रालय               |  |
| शूटिंग रेंज                                     | भारतीय खेल प्राधिकरण/राज्य सरकार का |  |
|   | खेल प्राधिकरण/भारतीय राइफल संघ      |  |

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

## 4. छूट देने की अन्य स्थितियां:—

इस अधिसूचना के तहत् एतद्द्वारा दी गई छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन भी होंगी:-

- (क) अधिसूचना के तहत् छूट का दावा करने वाला कनिष्ठ निशानेबाज बारह वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है।
  - (ख) अनुसूची के क्रम सं.-1 से 4 पर उल्लिखित व्यक्तियों को जारी लाइसेंस का वैधता क्षेत्र संपूर्ण भारत होगा तथा लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकरण इसे केन्द्र अथवा राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए बिना प्रदान करने हेतु प्राधिकृत होगा।
- (ग) अनुसूची के क्रम सं.-1 तथा 2 के छूट धारकों के लिए लाइसेंस दिए जाते समय भाले तथा कन्वर्जन बैरल युक्त शस्त्रों को एक शस्त्र के तौर पर ही माना जाएगा और उक्त शस्त्र तथा ऐसे भाले या कन्वर्जन बैरल का पूर्ण विवरण क्रमश: शस्त्र लाइसेंस पर दर्शाया जाएगा।

## 5. पात्र छुट धारकों के ब्यौरे का प्रकाशन:—

सभी पात्र छूट धारकों से संबंधित डाटाबेस युवा एवं खेल मंत्रालय और/अथवा भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की वेबसाइट पर डाला जाएगा ताकि किसी लाइसेंस प्रदाता प्राधिकरण द्वारा क्रास सत्यापन किया जा सके।

अनुसूची शस्त्र कब्जे में रखने से संबंधित रियायतें

|          | _                           | <u> </u>                                 |                                   |
|----------|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| क्र. सं. | व्यक्ति अथवा                | शस्त्रों के वर्ग/विवरण                   | शर्तें                            |
|          | व्यक्तियों के वर्ग          |  |                                   |
| (1)      | (2)                         | (3)                                      | (4)                               |
| 1.       | अर्जुन पुरस्कार             | शस्त्रों की कुल संख्या कब्जे में रखने पर | व्यक्ति के पास इस अधिसूचना के     |
|          | विजेता                      | सामान्य रियायत, बशर्तें निशानेबाजी में   | पैरा 3 में उल्लिखित उपयुक्त       |
|          |                             | अर्जुन पुरस्कार दिया गया हो।             | सत्यापन निकाय द्वारा जारी         |
|          |                             |  | प्रमाण पत्र होना चाहिए।           |
| 2.       | अंतर्राष्ट्रीय पदक          | (i) कैलिबर .22 लॉग राइफल में राइफलें     | (i) शस्त्र अधिनियम, 1959 के       |
|          | विजेता/विख्यात<br>निशानेबाज | (जिन्हें .22 एलआर भी कहा जाता है ।)      | प्रावधानों के अनुसार सामान्य      |
|          | । । नशानवाज<br>             | (ii) सेन्टर फायर राइफल, 8 मिमि तक        | नागरिक द्वारा जो शस्त्र कब्जे में |
|          |                             | कैलिबर के साथ, जिसमें 8 मिमि से कम       | रखने की शस्त्र है, उसके           |
|          |                             | सभी कैलिबर शामिल हैं ।                   | अतिरिक्त सात से अध्कि शस्त्र      |
|          |                             | (iii) पिस्टल/रिवॉल्वर,जिसमें 9 एम एम     | रखने की रियायत नहीं होगी          |
|          |                             | तथा 9 एम एम तक के कैलिबर शामिल           | तथा यह कुल दस शस्त्रों की         |
|          |                             | है, परन्तु 9 एम एम पैराबेलम शामिल        | सीमा के शर्ताधीन होगी ।           |
|          |                             |  | (ii) व्यक्ति के पास इस अध्सूचना   |
|          |                             | नहीं है  (9x19 एम एम) ।                  | के पैरा 3 में उल्लिखित            |
|          |                             | (iv) 12 बोर/गेज तक कैलिबर के             | उपयुक्त सत्यापन निकाय             |
|          |                             | शॉटगन, जिसमें 12 बोर/गेज से कम के        | द्वारा जारी प्रमाण-पत्र           |
|          |                             | सभी कैलिबर शामिल हैं।                    | चाहिए ।                           |
|          |                             |  | टिप्पणी :                         |
|          |                             |  | (क) यदि कोई-निशानेबाज             |
|          |                             |  | केवल एक ही प्रतिस्पर्धा में       |

|    |                                 |   | विख्यात है तो वह अध्कितम<br>कुल सात शस्त्र कब्जे में रख            |
|----|---------------------------------|---|--|
|    |                                 |   | सकता है (अर्थात चार  |
|    |                                 |   | रियायत वर्ग में तथा तीन शस्त्र                                     |
|    |                                 |   | जो वह अध्रियम की धारा 3  |
|    |                                 |   | की उपधारा 2 के अंतर्गत एक  |
|    |                                 |   | सामान्य नागरिक के बतौर   |
|    |                                 |   | कब्जे में रख सकता है ।   |
|    |                                 |   | (ख) यदि कोई निष्ठाानेबाज एक से                                     |
|    |                                 |   | अधिक प्रतिस्पर्धा में विख्यात है, तो                               |
|    |                                 |   | शस्त्रों की अधिकतम संख्या जो वह<br>कब्जे में रख सकता है वह दस होगी |
|    |                                 |   | (सात रियायत वर्ग में तथा तीन                                       |
|    |                                 |   | हिथयार जो वह ष्टास्त्र अधिनियम की                                  |
|    |                                 |   | धारा 3 की उपधारा 2 के अंतर्गत एक                                   |
|    |                                 |   | सामान्य नागरिक के बतौर कब्जे में                                   |
|    |                                 |   | रख सकता है)।   |
| 3. | कनिष्ठ लक्ष्य                   | इस प्रतिस्पर्धा में उपयोग किए गए शस्त्र           | (1) रियायत किसी भी वर्ग के एक शस्त्र                               |
|    | निशानेबाज                       | जिसमें व्यक्ति एक कनिष्ठ लक्ष्य निशानेबाज         | तक सीमित है, जिसमें व्यक्ति  |
|    |                                 | है।   | कनिज़्ठ लक्ष्य निष्ठाानेबाज है ।                                   |
|    |                                 |   | (2) व्यक्ति के पास इस अधिसूचना के                                  |
|    |                                 |   | पैरा 3 में उल्लिखित उपयुक्त सत्यापन                                |
|    |                                 |   | निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना<br>चाहिए।                       |
| 4. | महत्वाकांक्षी                   | इस प्रतिस्पर्धा में उपयोग किए गए शस्त्र           | (1) रियायत किसी भी वर्ग के एक शस्त्र                               |
| 4. | - महत्याकाजा<br>- निशानेबाज     | जिसमें व्यक्ति एक कनिष्ठ लक्ष्य निशानेबाज         | तक सीमित है, जिसमें व्यक्ति कनिष्ठ                                 |
|    |                                 | है।   | लक्ष्य निशानेबाज है ।  |
|    |                                 |   | (2) व्यक्ति के पास इस अधिसूचना के                                  |
|    |                                 |   | पैरा 3 में उल्लिखित उपयुक्त सत्यापन                                |
|    |                                 |   | निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना                                 |
| _  |                                 |   | चाहिए।   |
| 5. | भारत का राष्ट्रीय               | (i) कैलिबर .22 लॉग राइफल में राइफलें (जिन्हें .22 | (i) शस्त्रों को अधिकतम संख्या पर कोई                               |
|    | राइफल संघ/<br>संबद्ध राज्य      | एलआर भी कहा जाता है।                              | उच्च सीमा नहीं हैं, जो सत्यापन                                     |
|    | सबद्ध - राज्य<br>  राइफल - संघ, | (ii) सेन्टर फायर राइफल, 8 मिमि तक                 | निकाय की सिफारिशों पर आधारित<br>लाइसेंसिंग प्राधिकरण के विवके पर   |
|    | एनआइएआई के                      | कैलिबर के साथ, जिसमें 8 मिमि से कम                | आधारित है ।  |
|    | साथ/जिला                        | सभी कैलिबर शामिल हैं।                             | (ii) निकाय के पास इस अधिसूचना                                      |
|    | राइफल संघ जो                    | (iii) पिस्टल/रिवॉल्वर, जिसमें 9 एम एम तथा 9 एम    | उपयुक्त सत्यापन निकाय द्वारा जारी                                  |
|    | राज्य राइफल संघ                 | एम तक के कैलिबर शामिल है, परन्तु 9 एम             | प्रमाण पत्र होना चाहिए ।   |
|    | के साथ संबद्ध है।               | एम पैराबेलम शामिल नहीं है (9x19) एम               |  |
|    | सभी निशानेबाजी<br>क्लब जो राज्य | एम)   |  |
|    | क्लब जो राज्य                   | (iv) 12 बोर∕गेज तक कैलिबर के शॉटगन, जिसमें        |  |
|    |                                 |   |  |

| राइफल संघ           | 12 बोर/गेज से कम के सभी कैलिबर शामिल |
|---------------------|--------------------------------------|
| अथवा एन आर ए        | हैं।                                 |
| आई के साथ संबद्ध    |                                      |
| हैं/ भारतीय खेल     |                                      |
| प्राधिकरण अथवा      |                                      |
| राज्य सरकार के      |                                      |
| खेल प्राधिकरण के    |                                      |
| अंतर्गत सभी         |                                      |
| निशानेबाजी क्षेत्र। |                                      |

[फा. सं. वी.-11026/59/2011-शस्त्र]

भगवान शंकर, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2014

**S.O. 1988(E).** —Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to exempt certain classes of persons from the operation of some of the provisions of the Arms Act, 1959 (54 of 1959).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 41 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs vide number S.O. 667(E), dated the 12<sup>th</sup> September, 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby exempts the classes of the persons specified in column (2) of the Schedule hereto annexed, in respect of the arms of the category of description specified in the corresponding entry in column (3) thereof, when carried or possessed for their own personal use for the purpose of training or use in competitions, from the operations of the provisions of sub-section (2) of section 3 and clause (a) (i) of sub-section (1) of section 9 of the said Act and subject to such conditions as are specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule, namely:—

## 2. **Definitions** .-

For the purposes of this notification -

- (a) "International Championship" means the Asian Games, the Asian Shooting Championship, the Asian Women or Asian Junior Shooting Championship, the Commonwealth Games, the Commonwealth Shooting Championships, the Olympic Games, the World Junior or Senior Shooting Championships and the World Cups in Senior as well Junior events;
- (b) "International Medalist" means a person who has won an individual or team medal in an International Championship;
  - (c) "Renowned Shooter" means a person who has participated in a National Shooting Championship in an Open Men's Event or Open Women's Event or Open Civilian's Event whether through Qualifying Tournament or Wild Card Entry conducted in accordance with the rules of International Shooting Union and has attained the Minimum Qualifying Score specified by the National Rifle Association.
  - (d) "Junior Target Shooter" means a person who has completed the age of twelve years but is below the age of twenty one years and has taken part in at least one State Championship (held once a year) or in the Zonal Championship or National Level Shooting Competition recognised by National Rifle Association and/or by respective State Rifle Association;
  - (e) "Aspiring Shooter" means a person who has taken part in at least one State Championship (held once a year) or in the Zonal Championship or National Level Shooting Competition recognised by National Rifle Association and/or by respective State Rifle Association and attained the Minimum Qualifying Score specified by the National Rifle Association of India.

#### 3. Certifying bodies:-

a) the certifying body for persons specified at serial number (1) of the Schedule shall be the Government of India in the Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports. The certificate shall state that the award was conferred for excellence as a shooter.

- b) the certifying body for the persons specified at serial number (2) of the Schedule shall be the National Rifle Association of India (NRAI). The certificate shall state that the Medal has been won by the International Medalists in the International Championships and in case of Renowned Shooters the Merit Certificate shall mention the Qualifying Score along with the Minimum Qualifying Score (MQS) for the event as specified by NRAI.
- c) the certifying bodies for the persons specified at serial numbers 3 and 4 of the Schedule shall be the National Rifle Association of India or the approved or affiliated State Rifle Association(s) of NRAI. The Certificate issued shall mention the Qualifying Score along with the Minimum Qualifying Score for the event as specified by NRAI or the State Rifle Association.
- d) the certifying body for the entities mentioned at serial number 5 of the Schedule shall be as under:-

| Entity   | Certifying Body   |  |
|--|---|--|
| Shooting Clubs / District Rifle Associations affiliated with State Rifle Associations or National Rifle Association of India |   |  |
| State Rifle Association  | National Rifle Association  |  |
| National Rifle Association   | Ministry of Youth Affairs and Sports  |  |
| Shooting Ranges  | Sports Authority of India / Sports Authority of the State<br>Government / National Rifle Association of India |  |

#### 4. Other conditions of exemption:-

The exemption hereby granted under this notification shall further be subject to the following conditions, namely:-

- (a) The Junior Target Shooter claiming exemption under the notification has completed the age of twelve years.
- (b) Area Validity of the licenses issued to the persons mentioned at Serial numbers 1 to 4 of the Schedule will be for All India and the issuing licensing authority shall be authorised to grant the same without referring it to the Central or the State Government for approval.
- (c) For exemptees at serial number 1 and serial number 2 of the Schedule, a weapon with spare or conversion barrels is to be treated as one weapon only at the time of endorsement on the licence and full details of the said weapon and such spare or conversion barrel shall be endorsed on the respective Arms Licence.

### 5. Publication of details of eligible exemptees:-

The database in respect of all eligible exemptees shall be put on the website of the Ministry of Youth Affairs and Sports and/or that of the National Rifle Association of India for the purpose of cross verification by any licensing authority.

# SCHEDULE Exemptions related to possession of Arms

| Sr. | Persons or class of persons                 | Categories/descriptions of arms   | Conditions   |
|-----|---|---|--|
| No. |   |   |  |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)  |
| 1.  | Arjuna Awardee                              | General exemption on the number of arms to be possessed provided  | The person must hold a certificate issued by the appropriate certifying  |
|     |   | that the Arjuna Award is conferred in shooting.   | body referred to in paragraph 3 of this notification.  |
| 2.  | International Medalist/<br>Renowned Shooter | (i) Rifles in calibre .22 Long Rifle (also known as .22 LR); (ii) Center fire Rifles with calibers up to 8mm including all calibers lower than 8mm; (iii) Pistol/ Revolvers of caliber up to and including 9 mm | (1) The total number of weapons exempted shall not exceed <b>seven</b> in addition to the number of weapons he is entitled to possess as a normal citizen as per the provisions of the Act, subject to an overall ceiling of <b>ten</b> weapons.  (2) The person must hold a certificate |

|    |  | but excluding 9 mm parabellum (9x19 mm);  (iv) Shotguns of caliber up to 12 bore/gauge including all calibers lower than 12 bore/gauge.   | issued by the appropriate certifying body referred to in paragraph 3 of this notification.  Note:  (a) If a shooter is renowned in one event only, the maximum number of weapons he can possess shall be seven (i.e. four in the exempted category plus three weapons which he can possess as a normal citizen under sub-section 2 of Section 3 of the Act);  (b) If a shooter is renowned in more than one event, the maximum number of weapons he can possess shall be ten (i.e. seven in the exempted category plus three weapons which he can possess as a normal citizen under sub-section 2 of Section 3 of the Act). |
|----|--|---|---|
| 3. | Junior Target Shooter  | Type of arms used in the event in which the person is a Junior Target Shooter.  | <ol> <li>(1) The exemption is restricted to one weapon of any category in which the person is a Junior Target Shooter.</li> <li>(2) The person must hold a certificate issued by the appropriate certifying body referred to in paragraph 3 of this Notification.</li> </ol>  |
| 4. | Aspiring Shooter   | Type of arms used in the event in which the person is an Aspiring Shooter.  | <ol> <li>(1) The exemption is restricted to one weapon of any category in which the person is an Aspiring Shooter.</li> <li>(2) The person must hold a certificate issued by the appropriate certifying body referred to in paragraph 3 of this notification.</li> </ol>  |
| 5. | National Rifle Association of India (NRAI) / Affiliated State Rifle Association(s) with NRAI / District Rifle Association(s) affiliated with State Rifle Association(s) / All Shooting Clubs affiliated with the State Rifle Association or NRAI / All Shooting Ranges under the Sports Authority of India or the Sports Authority of the State Governments. | <ul> <li>(i) Rifles in calibre .22 Long Rifle (also known as .22 LR);</li> <li>(ii) Center fire Rifles with calibers up to 8mm including all calibers lower than 8mm;</li> <li>(iii) Pistol/ Revolvers of caliber up to and including 9 mm but excluding 9 mm parabellum (9x19 mm);</li> <li>(iv) Shotguns of caliber up to 12 bore/gauge including all calibers lower than 12 bore/gauge.</li> </ul> | (1) No upper limit on the number of Arms, subject to the discretion of the licensing authority based on the recommendations of the certifying body.  (2) The entity must hold a certificate issued by the appropriate certifying body referred to in paragraph 3 of this notification.  |

[F. No. V-11026/59/2011-Arms]

BHAGWAN SHANKAR, Jt. Secy.